

पत्र-४

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प सायडी

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कारोलिया / नागव  
व भूअ.नि. सायडी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा  
तहसीलदार रेलमगरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कारोलिया तहसील रेलमगरा  
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् १७१९ में खाता संख्या १५९ में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कारोलिया	159	सोहनलाल/मोती बलाई	सोहनलाल/मोती सायडी

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

दिनांक :- 4 OCT 2025

क्रमांक:- 184  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री कारोलिया को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रायली। सोहनलाल/मोती सायडी कारोलिया

पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,  
रेलमगरा